न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भावना राघव गूर्जर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 27/2018 **दायरा दिनांक : 19.02.2018**

उनवान

1— किशना वल्द धूला, जाति लोधा, निवासी खेड़ी जागीर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़ मृतक जर्ये कायम मुकामान :—

1/1— मोहन लाल वल्द किशना, जाति लोधा, निवासी खेड़ी जागीर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

1/2— गुलाब चन्द वल्द किशना, जाति लोधा, निवासी खेड़ी जागीर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

1/3— रामप्रसाद वल्द किशना, जाति लोधा, निवासी खेड़ी जागीर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

1/4— ललता बाई पुत्री किशना, किशना, जाति लोधा, निवासी खेड़ी जागीर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

1/5— कैलाश बाई पुत्री किशना, जाति लोधा, निवासी खेड़ी जागीर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

1/6— पाना बाई पुत्री किशना, जाति लोधा, निवासी खेड़ी जागीर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1— मांग्या वल्द धूला, जाति लोधा, निवासी खेड़ी जागीर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

2– वीरम लाल वल्द किशना, जाति लोधा, निवासी खेड़ी जागीर, तहसील मनोहरथाना, जिला झालावाड़

3– राजस्थान सरकार जर्ये उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री अमर सिंह लववंशी एवं श्री सी पी खण्डेलवाल

अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय **दिनांक : 13.12.2019**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मनोहरथाना के प्रकरण संख्या – 59/दावा/2012 निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री विधि विरूद्ध पत्र संग्रहसार के विपरीत होने के कारण निरस्त होने योग्य है । रेस्पोडेंट/वादी द्वारा एक वाद शामलाती खातेदारी का अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जिसमें अपीलांट का दावा विचाराधीन होने बाबत किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं मिली उसके बाद रेस्पोडेंट ने अपने प्रकरण को लोक अदालत केम्प मनोहरथाना में रखवाया और अपनी स्वयं की उपसिंिति दर्ज करवाकर अपीलांट की गैर मौजूदगी में निर्णय अपने पक्ष में करवा लिया । जिसकी जानकारी व सूचना अपीलांट को नहीं दी । अपीलांट को बिना सुने व समझे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है उनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई जिससे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्तनीय है । अपीलांट के विरूद्ध रेस्पोडेंट ने दिनांक 01.04.2011 को अतिरिक्त जिला कलेक्टर झालावाड के समक्ष विवादग्रस्त आराजी के मामले में दोनों पक्षों की

सहमति से हुए बंटवारे के विरूद्ध अपील पेश की गई थी जिस पर न्यायालय द्वारा निष्ठा व ईमानदारी व सच्चाई से दोनों पक्षों का अवलोकन कर दोनों पक्षों की बहस सुनकर तथा उक्त अपील दिनांक 19.07.2011 को खारिज कर दी गई थी, जिसके बदले रेस्पोडेंट ने नाराज होकर द्वितीय अपील अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के सम्बन्ध में नामान्तरकरण संख्या 161 दिनांक 08.01.2011 से अप्रसन्न होकर बंटवारे से असंतुष्ट होकर अपील की परन्तु वहा पर भी संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा रेस्पोडेंट की अपील को बिना आधार के होने के कारण खारिज कर दी गई । उक्त निर्णय व डिक्री में बहुत सारी कानूनी त्रुटियां की गई है उस निर्णय व डिक्री पर कोई गौर फरमाया नहीं गया है ना ही उनको कोई सूचना दी गई है ना ही उनको सुना गया है । रेस्पोडेंट की उपस्थिति में ही यह निर्णय व डिक्री का फैसला सुना दिया गया है जो निरस्तनीय है । अपीलांट की अपील में विधिवत सुनवायी नहीं की गई तो उनको सारवान नुकसान होगा वह प्राकृतिक व पारदर्शी न्याय से वंचित हो जावेगें, उनको ऐसा सारवान नुकसान होगा जिसकी भरपाई द्रव्य या अन्य किसी प्रकार से नहीं की जावेगी । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री 15.07.2017 अपास्त किया जावे ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 24.01.2018 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा खातेदारी अधिकारों की घोषणा का निर्णय बिना सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों की पालना के किया है, जिससे न्याय प्रक्रिया दोषपूर्ण होकर न्यायोचित निर्णय पारित होने पर संशय उत्पन्न करता है, जिसमें हम हस्तक्षेप करना उचित समझते हैं । अतः अपील अपीलांट स्वीकार किये जाने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 15.07.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि सभी पक्षकारों को उचित सुनिवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 25.02.2020 को उपस्थित होवे ।

निर्णय आज दिनांक 13.12.2019 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भावना राघव गूर्जर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा